



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226391
CG-DL-E-06042021-226391

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1341]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16, 1943

No. 1341]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2021

का.आ. 1452(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, अपर जिला मजिस्ट्रेट (भूमि अर्जन), कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, तो इसे करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आदेश द्वारा आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के फतेहपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्र. सं.	तालुक का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण / प्लॉट सं.	क्षेत्रफल (हे. में)
1	खागा	छीमी	1349	0.0521
			1350	0.0200
			2031	0.0770
			1346 Minz	0.0384
			1347 Minz	0.0024
			2022	0.0440
			1348	0.0243
			2032	0.0022
			2033	0.0100
		कुकुरा	192 Minz	0.0120
			194	0.0248
			280 Minz	0.0448
			173	0.0084
			172	0.0238
			279 Minz	0.0184
			91	0.0092
			195	0.0080
		टेनी	1300	0.0264
			1301	0.0084
			1325 Minz	0.0230
			244	0.0247
			245	0.0156

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2134]

ए. के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे. वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2021

S.O. 1452(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehpur in the State of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority namely Additional District Magistrate (Land Acquisition), Kanpur Nagar, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehpur in the State of Uttar Pradesh.

S.N.	Name of Tehsil	Name of Village	Plot/ Survey No.	Area (in Hect.)
1	Khaga	Chhimi	1349	0.0521
			1350	0.0200
			2031	0.0770
			1346 Minz	0.0384
			1347 Minz	0.0024
			2022	0.0440
			1348	0.0243
			2032	0.0022
			2033	0.0100
		Kukura	192 Minz	0.0120
			194	0.0248
			280 Minz	0.0448
			173	0.0084
			172	0.0238
			279 Minz	0.0184
			91	0.0092
			195	0.0080
		Teni	1300	0.0264
			1301	0.0084
			1325 Minz	0.0230
			244	0.0247
			245	0.0156

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2134]

A. K. SINHA, Exe. Dir. (L&A and SD)